अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेस दिनांक 26.5.2016 के कार्यवाही बिन्दु

1. मनरेगा कार्यों की प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रहेगा :–

   अ. प्रथम प्राथमिकता अपूर्ण जल संग्रहण कार्यो (कपिल धारा तथा खेत तालाब सहित) को पूर्ण कराना ।

   ब. द्वितीय प्राथमिकता अन्य अपूर्ण कार्यो (खेत सड़क को छोडकर) को पूर्ण पूर्ण कराना ।

   स. तृतीय प्राथमिकता जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण ।

   द. चतुर्थ प्राथमिकता नई जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण (कपिल धारा कुओं तथा खेत तालाब सहित)।

2. मनरेगा के तहत तकनीकी स्वीकृति देते समय अभियंतागण उपरोक्त प्राथमिकता क्रम का पालन सुनिश्चित करेंगे। नए कार्यो की तकनीकी स्वीकृति देते समय स्वीकृति देने वाले अभियंता निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनिवार्यतः उल्लेख करें।

3. उपरोक्त प्राथमिकता क्रम से भिन्न यदि कोई तकनीकी स्वीकृति मनरेगा के तहत दी जाना आवश्यक हो तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता से पूर्व लिखित अनुमति ली जाए।

4. राज्य स्तर से औचक निरीक्षण कराए जाने की व्यवस्था की गयी है।

5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उनके प्रभार के क्षेत्र के 10 प्रतिशत कार्यो का अनिवार्यतः निरीक्षण करें ।

6. तालाब के गहरीकरण करने पर जल संग्रहित होने के बाजाए पानी रिसने की स्थिति बन सकती है। अतः डिसिल्टिंग अथवा गहरीकरण में बंड की टो लाईन से बांध की उंचाई से 10 गुना दूरी तक (10H) कोई खुदाई नहीं की जावे यह सुनिश्चित करें ।

7. तालाब की मिटटी उपजाऊ होने से कृषक स्वयं के व्यय पर उनके निजी उपयोग के लिए मिटटी खोद कर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। अतः तालाबों के गहरीकरण/डिसिल्टिंग पर व्यय नहीं किया जाये। जिन प्रकरणों में डिसिल्टिंग शासन व्यय पर अपरिहार्य पाया जावे उनमें जिला कलेक्टर की विशेष स्वीकृति ली जावे। जिला कलेक्टर स्वीकृति देते समय इस आशय की संतुष्टि करेंगे कि निजी व्यक्तियों द्वारा मिटटी की खुदाई कर मिटटी ले जाना संभव/व्यवहारिक नहीं है।
8. जल संग्रहण संरचनाओं की जो जानकारी जल संसाधन विभाग की वेबसाईट पर दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है।
9. अनुमानित व्यय की गणना करने में सभी अधिकारीगणों ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसओआर को त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया है। तालाब गहरीकरण के लिए मिटटी खोदने की दरें लगती हैं। बांध निर्माण की दरें नहीं लगती है।
10. वेबसाईट पर प्रदर्शित त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी को आगामी वीडियो कान्फ्रेसिंग तक संशोधित करें।
11. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जल संग्रहण संरचनाओं के मरम्मत के संबंध में दो दिवस के भीतर एसओआर की अनुपूरक सूची जारी करें।
12. त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के आधार पर जारी प्रशासकीय स्वीकृति पर कार्य न किया जावे। प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुपूरक एसओआर जारी करने के उपरान्त जल संग्रहण संरचानाओं के तकनीकी एवं वित्तीय प्राक्कलन नए सिरे से तैयार किए जावें और तदानुसार पुनः प्रशासकीय स्वीकृति ली जावे ।
13. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के लिए नई एसओआर तीन माह में बनायें।
14. आगामी गुरूवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग के पूर्व जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री संयुक्त रूप से जल संग्रहण की 100 परियोजनाओं के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण के तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्कलन का परीक्षण करें और WRD की Website पर दर्ज भी करें।
15. जल संग्रहण संरचाओं के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण के निमार्ण की निम्न परियोजनाओं में तकनीकी स्वीकृति जल संसाधन विभाग के सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री से ली जावे :–

    अ. समस्त प्रकार के स्टापडेम/बराज/वीयर के जीर्णोद्धार/मरम्मत के प्रकरण।

    ब. समस्त प्रकार के सिंचाई तालाब (निस्तारी तालाबों को छोड़कर) के सुदृढीकरण एवं गहरीकरण के प्रकरण।

27.05.16.